

अध्याय 4: अनुपालन सुनिश्चित करने में विभाग की दक्षता

निर्धारिती द्वारा शुल्क/कर के स्वनिर्धारण के प्रारंभ के बाद, विभाग को संवीक्षा और आन्तरिक लेखापरीक्षा के यंत्र के माध्यम से शुल्क/कर भुगतान का अनुपालन सत्यापन सुनिश्चित करना होता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग द्वारा कोई विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी। इसके अलावा, आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य इकाइयों की कवरेज न होना भी पाया गया था। अनुपालन सत्यापन तंत्र जैसा परिकल्पित था, के अननुपालन के कारण हमने सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियमों एवं विनियमों के अनुपालन की जांच करते समय विभिन्न कमियाँ पाई। पाए गए कुछ मामले नीचे दर्शाये गए हैं।

4.1 इनपुट और इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(के) और 2(आई) के तहत इनपुट और इनपुट सेवाओं को परिभाषित किया गया है।

पूर्वोक्त नियम 3 के अनुसार, आउटपुट सेवा के निर्माता या प्रदाता को उसमें विनिर्दिष्ट शुल्कों/सेवा कर के क्रेडिट का लाभ लेना अनुमत है जो पूंजीगत माल/इनपुटों/इनपुट सेवाओं पर प्रदत्त हैं।

सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ और उपयोग, सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 14 और नियम 15ए की शर्तों में ब्याज और शास्ति सहित वसूलीयोग्य है।

2012-13 से 2014-15 के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने 83 मामलों में पाया कि ₹62.13 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट का लाभ अपात्र इनपुटों/इनपुट सेवाओं पर लिया गया था।

कुछ मामले नीचे दर्शाये गये हैं:-

4.1.1 अपात्र इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(आई) में अन्य बातों के साथ साथ इनपुट सेवाओं को, विनिर्माता द्वारा प्रयुक्त किसी सेवा के रूप में जो

प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अन्तिम उत्पादों के विनिर्माता के संबंध में और निकासी के स्थान तक अन्तिम उत्पादों की निकासी और सेवाएं अर्थात् आधुनिकीकरण, नवीकरण इत्यादि शामिल हैं, किन्तु (क) निर्माण कार्य ठेका और विनिर्माण सेवाओं, जिसमें वित्त अधिनियम की धारा 66 ई के खण्ड (ख) के तहत सूचीबद्ध सेवा शामिल है, जहां तक वह (क) एक भवन या एक सिविल संरचना या उसके भाग के निर्माण ठेका के निर्माण या निष्पादन (ख) विनिर्दिष्ट सेवाओं के एक या अधिक प्रावधान को छोड़कर पूंजीगत माल के समर्थन के लिए बुनियाद बिछाने या संरचना बनाने के निष्पादन में सेवा भाग को छोड़कर के रूप में ऐसे परिभाषित किया गया है।

भुवनेश्वर-॥ कमिश्नरी में में. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने समीक्षा की अवधि के दौरान ₹ 36.67 करोड़ के इनपुट सेवा क्रेडिट का लाभ और प्रयोग परियोजना कार्य, संयंत्र लगाने सिविल कार्यों अर्थात् नींव की खुदाई, भू कार्य से संबंधित सेवाओं के लिए किया गया था जो इनपुट सेवाओं की परिभाषा से बाहर है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 36.67 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ और उपयोग हुआ।

जब हमने इसके बारे में बताया (जुलाई 2015) मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2016)।

4.1.2 अधिसूचना द्वारा कवर न की गई अवधि के लिए इनपुट सेवाओं का सेनवेट क्रेडिट

एक क्रेता को बिक्री के प्रयोजन हेतु एक काम्पलैक्स, भवन, सिविल संरचना या उसके भाग के रूप में निर्माण के संबंध में 1 जुलाई 2012 से प्रभावी दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना के अनुसार, सेनवेट क्रेडिट केवल इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल के संबंध में उपलब्ध है। करयोग्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त इनपुटों पर कोई सेनवेट क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, 30 जून 2012 तक प्रदत्त ऐसी सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था।

दिल्ली एसटी कमिश्नरी में में. एजीसी रिएल्टी प्राइवेट लि. ने आवासीय परियोजनाओं के निर्माण की अपनी आउटपुट सेवा के संबंध में जुलाई 2012 से पूर्व प्राप्त इनपुट सेवा पर प्रदत्त सेवा कर पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ और उपयोग किया। चूंकि, सेवाएं जुलाई 2012 से पहले उपयोग और प्राप्त की गई

थी, सेवा प्रदाता को सेनवेट क्रेडिट अनुमत नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹91.07 लाख का अस्वीकार्य सेनवेट क्रेडिट का लाभ और उपयोग किया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (जून 2015) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2016) कि एससीएन जारी किया जा चुका है।

4.1.3 बिक्री कमीशन पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(आई) के अनुसार, बिक्री प्रमोशन एक योग्य क्रेडिट है तथापि इनपुट सेवा की परिभाषा में बिक्री कमीशन शामिल नहीं है। मै. कैडिला हेल्थकेयर लि. {2013(30) एसटीआर 3 (गुज.)} के मामले में यह निर्णय लिया गया था कि कमीशन एजेंटों द्वारा दी गई सेवा, जो कि परिभाषा में उल्लिखित गतिविधियों के अनुरूप नहीं है, व्यापार या बिक्री को बढ़ावा देने से संबंधित अभिव्यक्ति की गतिविधियों के दायरे में नहीं आएगा। परिणामस्वरूप, कमीशन एजेंटों को भुगतान की गई कमीशन के संबंध में सेनवेट क्रेडिट अनुमत नहीं होगा। मै. कैडिला हेल्थकेयर लि. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी और मामला शीर्ष न्यायालय के अधीन था और उस मामले {2014 (34) एसटीआर 814 (गुज.)} में कोई स्थगन आदेश प्रदान नहीं किया गया था।

बोलपुर कमीशनरी में मै. बल्लवपुर पेपर मेन्यूफेक्चरिंग लि. ने विभिन्न बिक्री एजेंटों के माध्यम से क्राफ्ट पेपर क्लीयर किया और लागू सेवा कर के साथ बिक्री पर कमीशन का भुगतान किया। बाद में निर्धारिती ने उस प्रदत्त सेवा पर सेवा कर क्रेडिट का लाभ लिया जो अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप, समीक्षा की अवधि के दौरान बिक्री कमीशन पर ₹1.40 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

जब हमने इसके बारे में बताया (सितम्बर 2014) मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2016) कि निर्धारिती द्वारा लिया गया क्रेडिट दिनांक 29 अप्रैल 2011 के परिपत्र के प्रकाश में नियमित था और गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय निर्धारिती पर बाध्यकारी नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय और बोर्ड के परिपत्र के बीच कोई असंगति होती, तो उसके परिपत्र के बजाय

क्षेत्राधिकारी उच्च न्यायालय का निर्णय विभाग पर बाध्यकारी होता है {2014 (34) एसटीआर 814 (गुज.)}।

4.1.4 छूट प्राप्त माल पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(4) और 6(1) में परिकल्पित है कि पूंजीगत माल या इनपुट सेवा जिसका पूरी तरह से छूट प्राप्त माल या सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, पर कोई सेनवेट क्रेडिट अनुमत नहीं होगा।

कोच्चि कमिश्नरी में मै. ट्रावेन्कोर कोचीन केमिकल्स लि. ने मै. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (वीएसएससी) की सहायता से केवल सोडियम क्लोरेट क्रिस्टल के उत्पादन के लिए ₹24 करोड़ का एक एमोनियम पर-क्लोरेट एक्सपेरिमेंटल प्लांट स्थापित किया। अन्तिम उत्पाद मै. वीएसएससी को दिनांक 1 मार्च 1997 की छूट अधिसूचना के अन्तर्गत आपूरित किया गया था। संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि निर्धारिती ने उपरोक्त संयंत्र के लिए उपयोग की गई की इनपुट सेवाओं पर ₹28.02 लाख, पूंजीगत माल पर ₹63.60 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया जो सही नहीं था। इसके परिणामस्वरूप सवीक्षा की अवधि के दौरान ₹91.62 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

जब हमने इसके बारे में बताया (जुलाई 2015) मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2016) कि चूंकि विवादास्पद पूंजीगत माल शुल्क योग्य और छूट प्राप्त दोनों के निर्माण के लिए उपयोग हुए थे इस मामले में सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 6(4) नहीं लगेगा।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि शुल्क योग्य माल की कोई निकासी नहीं हुई थी।

4.1.5 गलत तरीके से प्रदत्त प्रतिकारी शुल्क का सेनवेट क्रेडिट

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए की उप धारा (1) के अन्तर्गत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार जहाँ किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल के संबंध में उप धारा (1) के अन्तर्गत उस पर उद्ग्राह्य पूरे उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है, तो ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माता को ऐसे माल पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

इसके अतिरिक्त, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(डी) के अनुसार, छूट प्राप्त माल का अर्थ है, उत्पाद शुल्क योग्य माल जिसे उस पर उद्ग्राह्य उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त है और इसमें ऐसा माल शामिल है जिन पर शुल्क की 'शून्य' दर प्रभाय है।

बोर्ड ने दिनांक 14 जनवरी 2011 के अपने परिपत्र में स्पष्ट किया "यदि निर्धारिती छूट प्राप्त माल पर उत्पाद शुल्क के रूप में किसी राशि का भुगतान करता है, तो उसे डाउनस्ट्रीम यूनिटों के सेनवेट क्रेडिट के रूप में अनुमत नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रदत्त राशि को सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क के रूप में नहीं माना जा सकता"।

भुवनेश्वर-॥ कमिश्नरी में मै. जिन्दल स्टील एंड पावर लि. और मै. गणेश स्पोर्ट्स प्रा. लि ने उस आयातित कोयले पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया, जिस पर दो प्रतिशत की दर से सीवीडी का भुगतान किया गया था। चूंकि उक्त माल पूर्वोक्त नियम के अनुसार छूट प्राप्त माल की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप 2013-14 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 3.50 करोड़ (₹ 3.38 करोड़ + 0.12 करोड़) के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (जुलाई 2015) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2016) कि एससीएन जारी किये जा रहे हैं।

4.2 सेनवेट क्रेडिट की वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(2) के अनुसार, जब एक निर्धारिती शुल्क योग्य एवं छूट प्राप्त दोनों के निर्माण/सेवा से संबंधित होता है तो उसे प्राप्ति शुल्क योग्य निर्माण/सेवा में उपयोग हेतु अभिप्रेत इनपुट/इनपुट सेवाओं के उपभोग और मालसूची के पृथक लेखों का अनुरक्षण करना होता है और पहले भाग का ही क्रेडिट लेना होता है। इसके अतिरिक्त, माल के विनिर्माता या आउटपुट सेवाओं के प्रदाता जो पृथक लेखों का अनुरक्षण न करने का विकल्प लेता है वह छूट प्राप्त माल छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर राशि या पूर्वोक्त उप नियम (3ए) के अन्तर्गत निर्धारित राशि का भुगतान करेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने 12 कमिश्नरियों में 18 मामले पाए, जिनमें निर्धारितियों ने संमीक्षा की अवधि के दौरान या तो सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत देय ₹32.74 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया था या कम भुगतान किया था। कुछ मामले नीचे दर्शाये गए हैं:-

4.2.1 वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय V की धारा 64 जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सेवा कर लगाने से छूट प्रदान करती हैं। चूंकि जम्मू एवं कश्मीर में प्रदत्त सेवाओं के संबंध में सेवा कर देय नहीं है, इसलिए संबंधित इनपुट सेवा का सेनवेट क्रेडिट अनुमत नहीं है। शब्द 'छूट प्राप्त सेवाएं' जैसा नियम 2(ई) में परिभाषित है का अर्थ है कर योग्य सेवाएं जो उस पर उद्ग्रहाय पूरे सेवा कर से छूट प्राप्त हैं और इसमें वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 के अन्तर्गत ऐसी सेवाएं भी शामिल हैं जिन पर कोई सेवा कर उद्ग्रहण नहीं है।

मुम्बई-VII एसटी कमिश्नरी में मै. रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लि. कर योग्य, छूट प्राप्त और गैर कर योग्य टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं प्रदान करने में संलग्न था। समीक्षा अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने जम्मू एवं कश्मीर के ग्राहकों को गैर-करयोग्य सेवाएं प्रदान की थी तथा ₹222.27 करोड़ की आय अर्जित की। निर्धारिती ने करयोग्य तथा गैर-करयोग्य सेवाओं के प्रावधान में उपयुक्त इनपुट सेवाओं के लिए पृथक खातों का अनुरक्षण नहीं किया। इसके अलावा, जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित गैर करयोग्य सेवाओं के प्रति नियम 6(3ए) के अनुसार किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए ₹24.36 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने यह बताया (जुलाई 2015) तब मंत्रालय ने सूचित किया (फरवरी 2016) कि एक एससीएन जारी किया जा रहा है।

4.2.2 मुम्बई एलटीयू कमिश्नरी में मै. राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टीलाइजर्स लि., थाल शुल्कयोग्य तथा छूट प्राप्त उत्पादों का विनिर्माण करने में संलग्न थी। निर्धारिती की ट्रॉम्बे तथा थाल में दो निर्माण इकाईयां हैं। थाल यूनिट के वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने सामान्य इनपुट सेवाओं पर आनुपातिक सेवा कर क्रेडिट का लाभ उठाया था, जिसे मुख्य रूप से शुल्क योग्य माल हटाने तथा करयोग्य सेवाओं

के प्रावधान के लिए थाल यूनिट हेतु प्राप्त किया गया था। नियम 6(3) के तहत राशि को वापिस करते समय निर्धारिती ने सम्पूर्ण कम्पनी (दोनों यूनिटों) के टर्नओवर अनुपात पर विचार किया था जो सही नहीं था क्योंकि केवल थाल यूनिट के टर्नओवर अनुपात पर विचार किया जाना आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप ₹5.29 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ उठाया गया।

जब हमने इस विषय में बताया (अप्रैल 2015) तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (फरवरी 2016) कि एससीएन जारी किया जा रहा है।

4.2.3 सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3बी) के अनुसार, एक गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी (जमा, ऋणों या अग्रिमों द्वारा सेवा प्रदान करने में सलग्न) सहित एक बैंकिंग कम्पनी तथा एक वित्तीय संस्था को 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी प्रत्येक माह उस माह में इनपुटों तथा इनपुट सेवाओं पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के पचास प्रतिशत के बराबर भुगतान करना होगा।

कोच्चि कमिश्नरी में मै. फेडरल बैंक लि. के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, हमने पाया कि निर्धारिती ने वर्ष 2012-13 के दौरान ₹32.83 करोड़ राशि की इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया परन्तु ₹16.42 करोड़ की बजाय केवल ₹15.76 करोड़ वापिस किए। इसके परिणामस्वरूप ₹65.57 लाख का कम व्युत्क्रमण हुआ।

जब हमने यह बताया (मार्च 2014) तब मंत्रालय ने ₹19.75 लाख के ब्याज के साथ ₹65.57 लाख के सेनवेट क्रेडिट के व्युत्क्रमण के बारे में सूचित किया (फरवरी 2016)।

4.2.4 भुवनेश्वर-II कमिश्नरी में मै. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 2013-14 तथा 2014-15 की समयावधि के दौरान शुल्क के भुगतान के बिना ₹9.11 करोड़ के मूल्य के दो छूट प्राप्त उत्पादों अर्थात् केलसाइंड लाइम तथा सल्फर की निकासी की। हालांकि, निर्धारिती ने इनपुटों अर्थात् आयातित लाइम स्टोन तथा आयातित क्विक लाइम लम्पस तथा इनपुट सेवाओं अर्थात् श्रमबल एजेंसी सेवाएं, कोयले और अन्य इनपुट सेवाओं के परिवहन पर माल परिवहन एजेंसी पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था। चूंकि निर्धारिती ने पृथक खातों

का अनुरक्षण नहीं किया था अतः नियम 6(3) के अनुसार वह ₹ 54.64 लाख की राशि का भुगतान करने का दायी है।

जब हमने यह बातया (जुलाई 2015) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2016) कि एससीएन प्रक्रियाधीन है।

4.2.5 कोलकाता-1 एसटी कमिश्नरी में मै. वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. ने समीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न करयोग्य तथा छूट प्राप्त सेवाएं प्रदान की। हालांकि, निर्धारिती ने करयोग्य सेवाओं तथा छूट प्राप्त सेवा दोनों के लिए उपयुक्त सामान्य इनपुट सेवाओं के लिए पृथक खातो का अनुरक्षण न करने के लिए पूर्वोक्त नियम 6 के अन्तर्गत किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया। चूंकि निर्धारिती ने पृथक खातो का अनुरक्षण नहीं किया था अतः नियम 6(3) के अनुसार वह ₹ 37.36 लाख की राशि का भुगतान करने का दायी है।

जब हमने यह बताया (मई 2015) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2016)।

4.3 सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमवावली 2004 का नियम 3 अनुबंधित करता है कि निर्माता/सेवा प्रदाता को इनपुट, पूंजीगत माल तथा इनपुट सेवाओं उक्त नियम 9 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के आधार पर अंतिम उत्पादों के निर्माण या आउटपुट सेवा के प्रावधान के उपयोग में या उसके संबध में प्राप्त पर उसमें निर्दिष्ट भुगतान किए गए शुल्क पर सेनवेट क्रेडिट लेने की मंजूरी दी जाएगी।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने 12 आयुक्तालयों में 22 मामले देखे जिसमें स्वीकार्य राशि से अधिक सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था जिसके परिणामस्वरूप 2012-13 से 2014-15 की समयावधि के दौरान ₹ 20.20 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया था। कुछ मामलें नीचे दर्शाये गए हैं:-

4.3.1 भुवनेश्वर-॥ कमिश्नरी में मै. जिंदल स्टील एंड पावर लि., अंगुल ने ₹ 29.90 करोड़ की संविभाजित हकदारी के प्रति अगस्त 2014 में ₹ 47.95 करोड़ के प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) के इनपुट

क्रेडिट का लाभ उठाया है। क्रेडिट का अधिक लाभ उठाना रायगढ़ में अन्य यूनिट से सम्बंधित क्रेडिट के कारण हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹18.05 करोड़ के क्रेडिट का अधिक लाभ उठाया गया।

जब हमने यह बताया (अप्रैल 2015), तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (फरवरी 2016) कि एससीएन जारी किया जा रहा है।

4.3.2 पुणे-III कमिश्नरी में मै. प्रीकॉल लि. के ईआर-1/सेनवेट क्रेडिट अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच पर पता चला कि ईआर-1 रिटर्न में, सेवा कर क्रेडिट राशि को मई, जून, अक्टूबर तथा नवम्बर 2014 के माह में इनपुट क्रेडिट कॉलम के साथ-साथ सेवा कर क्रेडिट कॉलम दोनों में लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹25.15 लाख के सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट का दोहरा लाभ उठाया गया।

जब हमने यह बताया (जून 2015) तो मंत्रालय ने ₹5.48 लाख के ब्याज तथा जुर्माने के साथ ₹25.15 लाख की वसूली सूचित की (फरवरी 2016)।

4.4 सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

4.4.1 अनुचित दस्तावेजों पर

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 9 उन दस्तावेजों का उल्लेख करता है जिनके आधार पर एक निर्माता/सेवा प्रदाता को इनपुट/पूँजीगत माल या इनपुट सेवा पर भुगतान किए शुल्क/सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट की अनुमति दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बीजक, प्रविष्टि बिल आदि सम्मिलित है।

हमने अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान 10 आयुक्तालयों में 18 मामलें देखे जिनमें अनुचित दस्तावेजों पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया गया। इसके परिणामस्वरूप समीक्षा अवधि के दौरान ₹2.36 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया गया। कुछ मामले नीचे दर्शाये गए हैं:-

पुणे-III कमिश्नरी में मै. बीबीएम एकाॅस्टिक इंडिया प्रा. लि., अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने सहायक कम्पनी के सेवा कर भुगतान चालान प्रति के आधार पर ₹62.71 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया जो

सही नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹62.71 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ हुआ।

जब हमने इस विषय में बताया (जून 2015) तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2016) कि दिनांक 30 अप्रैल 2010 के परिपत्र के अनुसार 'एसोसिएटिड एन्टरप्राइजिज' के मामले में सेवा कर क्रेडिट का लाभ तब उठाया जा सकता है जब सेवा प्रदाता को भुगतान किया गया हो।

सहायक कम्पनी के चालान की प्रति पर क्रेडिट का लाभ लेने के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति पर मंत्रालय का उत्तर मौन है जो अस्वीकार्य है।

4.4.2 पुराने बीजकों पर सेनवेट क्रेडिट

1 सितम्बर 2014 से प्रभावी सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4 को अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रदान करने के लिए कि सेनवेट क्रेडिट पूर्वोक्त नियम 9 के तहत जारी दस्तावेजों की तिथि से छः माह के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जाएगा संशोधित किया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने सात आयुक्तालयों में 14 मामले पाए जिनमें उन बीजको/दस्तावेजों जो छः माह से अधिक पुराने थे, पर ₹2.83 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया गया था। कुछ मामले नीचे दर्शाये गए हैं:-

4.4.2.1 पुणे-III कमिश्नरी में मै. कोका कोला इंडिया प्रा. लि., ने उन बीजको/दस्तावेजों के आधार पर इनपुटों पर भुगतान किए गए शुल्क के क्रेडिट का लाभ उठाया जो सितम्बर 2014 तथा मार्च 2015 के बीच छः माह से अधिक पुराने थे। इसके परिणामस्वरूप ₹73.86 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ हुआ।

जब हमने इस विषय में बताया (जून 2015) तो मंत्रालय ने सूचित किया (फरवरी 2016) कि निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था।

4.4.2.2 चेन्नई एलटीयू कमिश्नरी में मै. फोर्ड इंडिया प्रा. लि. ने नवम्बर 2014 में उन बीजको के आधार पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया जो छः माह से अधिक पुराने थे। इसके परिणामस्वरूप ₹49.65 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

जब हमने इस विषय में बताया (जून 2015) तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2016) कि बीजको के प्रति लिया गया क्रेडिट नियमानुसार था क्योंकि दिनांक 1 मार्च 2015 की अधिसूचना द्वारा समय सीमा को एक वर्ष तक बढ़ाया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 1 मार्च 2015 की अधिसूचना केवल 1 मार्च 2015 से प्रभावी है।

सिफारिश संख्या 5

सरकार बीजक/दस्तावेज संख्याएं, बीजको की तिथि, अध्याय शीर्षक के साथ माल का नाम, लिए गए क्रेडिट की राशि आदि से युक्त निर्धारिती द्वारा लाभ उठाए गए सेनवेट क्रेडिट के संदर्भ में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के लिए समावेशन प्रावधान पर विचार कर ताकि रेंज स्तर पर प्राथमिक जांच की जाए।

मंत्रालय ने सूचित किया (फरवरी 2016) कि सिफारिश जांच के अधीन है।

4.5 सेनवेट क्रेडिट का स्वः समायोजन

केन्द्रिय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बी के तहत अधिक भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क/कर का प्रतिदाय के रूप में दावा किया जाएगा। इसलिए, एक बार भुगतान किए किसी शुल्क के स्वतः प्रेरित समायोजन, शुल्क का गैर भुगतान माना जाएगा तथा एक निर्धारिती पूर्व भुगतान किया अत्याधिक शुल्क को विभाग से प्रतिदाय का दावा करके ही प्राप्त कर सकता है।

4.5.1 कोच्चि कमिश्नरी में दूरसंचार तथा व्यवसाय सहायता सेवाओं में संलग्न मै. वोडाफोन सेल्यूलर लिमिटेड ने पूर्वोक्त नियमावली के नियम 4ए के अनुसार उनके द्वारा जारी बीजको के आधार पर सेवा कर का भुगतान किया। हालांकि, 2012-13 से 2014-15 के दौरान अपनी सेवा कर देयता देते समय निर्धारिती के कथित नियम के तहत पूर्व माह में भुगतान किए गए अधिक सेवा कर का क्रेडिट लेकर ₹ 2.41 करोड़ समायोजित किए। आगे जांच पर हमने पाया कि जब भी पूर्व-भुगतान किए कूपनों के बिक्री प्रतिदाय लेनदेन तथा पश्च भुगतान किए कनेक्शनों की राशि की प्राप्ति न होना देखा गया तो

बीजको को रखते समय भुगतान किये गये संबंधित सेवा कर को वर्तमान माह सेवा कर देयता में समायोजित किया गया। चूंकि ऐसे समायोजन को केवल तभी किया जा सकता है जब निर्धारिती सेवा कर सहित प्राप्त किए भुगतान का प्रतिदाय करे या इसके लिए क्रेडिट नोट जारी करें जैसा मामला इस अभ्युक्ति में नहीं था, निर्धारिती द्वारा किया गया समायोजन अनियमित माना गया। इसके परिणामस्वरूप ₹2.41 करोड़ के क्रेडिट का अनियमित लाभ तथा उपयोग हुआ।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जून 2015), मंत्रालय ने सूचित किया (फरवरी 2016) कि एससीएन जारी किया जा रहा है।

4.5.2 कोलकाता एलटीयू कमिश्नरी में, मैसर्स टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिति ने 31 दिसम्बर 2014 को 'बोगी कंटेनर फ्लैट' के लिये मैसर्स जीएटीएक्स इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड को बीजक जारी किया था। लेकिन वास्तव में कथित माल उस दिन निकासित नहीं किया गया था। माल वास्तव में जनवरी 2015 को निकासित किया गया था और दिनांक 28 जनवरी 2015 को मैसर्स जीएटीएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को फिर से अलग बीजक जारी किया गया था। दिसम्बर 2014 को मैसर्स टीटागढ़ वैगन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत बीजक फिर मैसर्स जीएटीएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वापस किया गया था और निर्धारिति ने इस बीजक के आधार पर स्वतः क्रेडिट का लाभ लिया। इसके परिणामस्वरूप 2014-15 के दौरान ₹ 65.73 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

इसी प्रकार, नोएडा कमिश्नरी में, मैसर्स प्रभात जर्दा फैक्ट्री (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने 2012-13 के दौरान ₹ 3.20 लाख के स्वतः सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (मई और जून 2015 के बीच) मंत्रालय ने मैसर्स टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के संबंध में ₹ 65.73 लाख की वसूली के बारे में सूचित किया (फरवरी 2016)। मैसर्स प्रभात जर्दा फैक्ट्री (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित सेनवेट क्रेडिट लेने के लिये पात्र नहीं था।

4.6 बिना भुगतान किये सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4 का उप-नियम 7 में, प्रावधान है कि इनपुट सेवा के संबंध में सेनवेट क्रेडिट जिस दिन नियम 9 में संदर्भित बीजक, बिल या चालान जैसा भी मामला हो उस दिन या उसके बाद अनुमत होगा। इसके अतिरिक्त, कथित नियम के प्रावधान में निर्धारित है कि यदि इनपुट सेवा और भुगतान किया गया या भुगतानयोग्य सेवा कर जैसा बीजक/बिल में दर्शाया गया है के मूल्य का भुगतान बीजक/बिल की तिथि से तीन माह के अंदर नहीं किया जाता है, तो सेवा प्रदाता जिसने ऐसी इनपुट सेवा पर क्रेडिट लिया है ऐसी इनपुट सेवा पर सेनवेट क्रेडिट लाभ के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

इसके अतिरिक्त, इस नियम में निर्धारित है कि यदि इनपुट सेवा के प्रति किया गया कोई भुगतान या उसका भाग वापस किया जाता है या निर्माता या सेवा प्रदाता जिसने ऐसी इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट लिया है द्वारा क्रेडिट नोट प्राप्त किया जाता है, वो ऐसे वापस किये गये या क्रेडिट की गई राशि के संबंध में सेनवेट क्रेडिट लाभ के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने दिल्ली-। एसटी कमीशनरी, में दो मामले देखे, जहाँ सेवा प्रदाताओं ने उपरोक्त नियम का उल्लंघन करते हुये या तो तीन माह की निर्धारित समय सीमा के अंदर उस पर भुगतानयोग्य सेवा कर के साथ इनपुट सेवा के मूल्य का भुगतान न करके या उसका भुगतान विलम्ब से करके इनपुट सेवा पर सेनवेट क्रेडिट लाभ लिया। इसके परिणामस्वरूप समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 1.49 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया गया।

एक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:-

दिल्ली-। एसटी कमिशनरी में, मैसर्स सोम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारित ने इनपुट सेवा पर ₹ 1.48 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ और उपयोग किया, जिसके संबंध में निर्धारित ने लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2015) तक इनपुट सेवा के मूल्य का भुगतान नहीं किया था। जिसके परिणामस्वरूप 2012-13 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 1.48 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ लिया गया।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जून 2015) मंत्रालय ने ₹ 2.34 करोड़ की वसूली के बारे में सूचित किया (फरवरी 2016)।

4.7 इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा सेनवेट क्रेडिट का वितरण

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(एम) के अनुसार, “इनपुट सेवा वितरक” का अर्थ है अंतिम उत्पाद के निर्माता या उत्पादक या आउटपुट सेवाप्रदाता का कार्यालय जो, इनपुट सेवाओं की खरीद के प्रति सेवा कर नियमावली, 1994, के नियम 4ए के अंतर्गत जारी बीजक प्राप्त करता है और ऐसे निर्माता या उत्पादक या सेवा प्रदाता, जैसा भी मामला हो को कथित सेवाओं पर भुगतान किये गये सेवा कर के क्रेडिट के वितरण के उद्देश्य हेतु बीजक, बिल, या चालान जैसा भी मामला हो जारी करता है। सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम-7 इनपुट सेवा वितरक द्वारा सेनवेट क्रेडिट के वितरण के लिये शर्तें निर्धारित करता है। एक शर्त यह है कि पूर्ण रूप से छूट प्राप्त माल के निर्माता या छूट प्राप्त सेवा प्रदान करने से जुड़ी एक या अधिक इकाईयों द्वारा प्रयोग की गई सेवा के कारण सेवा कर का क्रेडिट वितरित नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त एक से अधिक इकाईयों द्वारा प्रयोग की गई सेवा के कारण सेवा कर का क्रेडिट उसकी सभी इकाईयों, जो उस वर्ष क्रियाशील थीं के कुल कारोबार से संबंधित अवधि के दौरान ऐसी इकाईयों के कुल कारोबार के आधार पर यथानुपात वितरित किया जायेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, हमने छह कमिशनरियों में छः मामले देखे जिनमें 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 1.05 करोड़ का क्रेडिट अनियमित रूप से वितरित और/या लाभ प्राप्त किया गया था। दो मामले नीचे उल्लिखित हैं:-

सिलवासा कमिशनरी में, मैसर्स आलोक इंडस्ट्रीज, की पांच सहयोगी इकाईयां हैं (एक वापी में स्थित है, तीन सिलवासा वाली स्थित हैं और एक नवी मुंबई में स्थित है)। तथापि, निर्धारित ने समान प्रकृति अर्थात् परामर्श शुल्क, निधि की व्यवस्था के लिये व्यावसायिक शुल्क, एसएपी रखरखाव आदि की इनपुट सेवा के संबंध में सेनवेट क्रेडिट का लाभ और उपयोग किया। यह सभी सेवाएँ समान प्रकृति की हैं और पूर्ण रूप से मैसर्स आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबंधित हैं और केवल सिलवासा वाली निर्धारित इकाई से नहीं। इसलिए, एक

इकाई पर सामान्य इनपुट सेवा के लिये ₹ 64.64 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना अनियमित था।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जून 2015) मंत्रालय ने ₹ 64.64 लाख की राशि की वसूली के बारे में सूचित किया (फरवरी 2016)।

4.8 सेनवेट क्रेडिट का स्थानांतरण

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 12ए बड़े करदाता जो एलटीयू के अंतर्गत पंजीकृत हैं के लिये प्रक्रिया और सुविधाएँ निर्धारित करता है। सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 12ए(4), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार, बड़ा करदाता अपने किसी एक पंजीकृत विनिर्माण परिसर या करयोग्य सेवा प्रदान करने वाले परिसर द्वारा 10 जुलाई 2014 को या पहले, लिये गये सेनवेट क्रेडिट को कुछ शर्तों के साथ ऐसे अन्य पंजीकृत परिसरों को स्थानांतरित कर सकता है।

मुंबई एलटीयू कमिश्नरी में, मैसर्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सिलवासा इकाई), ने 31 जुलाई 2014 को हलोल इकाई द्वारा स्थानांतरित क्रेडिट के आधार पर 2014-15 में ₹ 60 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया और उपयोग किया। इकाई के स्थानांतरणकर्ता (हेलोल इकाई) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 11 जुलाई 2014 से 31 जुलाई 2014 की अवधि के दौरान उसके द्वारा प्राप्त किये गये ₹ 10.17 लाख का क्रेडिट भी सिलवासा इकाई को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार, स्थानांतरणकर्ता इकाई द्वारा 10 जुलाई 2014 को सेनवेट क्रेडिट के शेष से अतिरिक्त स्थानांतरित किये गये सेनवेट क्रेडिट की राशि सही नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप सिलवासा इकाई द्वारा ₹ 10.17 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ और उपयोग हुआ।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जून 2015) मंत्रालय ने ₹ 1.83 लाख के ब्याज सहित ₹ 10.17 लाख की वसूली के बारे में बताया (फरवरी 2016)।

4.9 पूर्ण/आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाले गये इनपुट या पूंजीगत माल का सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 3(5बी) निर्धारित करता है कि यदि प्रयोग से पहले किसी भी इनपुट या पूंजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया हो का मूल्य पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया है या जहां पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डालने का कोई भी प्रावधान बही खाते में किया गया हो, तो निर्माता या सेवा प्रदाता कथित इनपुट या पूंजीगत माल के संबंध में लिये गये सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, हमने चार कमिशनरियों में चार मामले देखे, जिनमें कि इनपुट/पूंजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया गया था का मूल्य या तो बट्टे खाते में डाल दिया गया था या उसे प्रयोग करने से पूर्व बही खाते में बट्टे में डालने का प्रावधान कर दिया गया था लेकिन संबंधित सेनवेट क्रेडिट वापस नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 44.81 लाख के सेनवेट क्रेडिट का गैर-उत्क्रमण हुआ। एक मामला नीचे उल्लिखित है:-

पुणे-III कमिशनरी में, मैसर्स इनोवेटिव टेक्नोमिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 2.19 करोड़ का स्टॉक हटाया। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि ऐसे स्टॉक पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया गया था, लाभ प्राप्त किये गये सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि स्टॉक हटाते समय निर्धारित द्वारा वापस नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.57 लाख का अनियमित क्रेडिट हुआ।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जून 2015), आपत्तियों को स्वीकार करते समय मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2016) कि एससीएन जारी किया जा रहा है।

4.10 शिक्षा उपकर और माध्यमिक उच्च शिक्षा के सेनवेट क्रेडिट का गलत भुगतान

अंतिम उत्पाद के विनिर्माता या उत्पादक या आउटपुट सेवाप्रदाता को सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(1) में सूचीबद्ध सभी शुल्क, कर और

उपकर का सेनवेट क्रेडिट लेने की अनुमति है। दिनांक 17 मार्च 2012 के सीमाशुल्क अधिसूचना के माध्यम से प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर पर छूट के बाद या तो पूर्ण या सीवीडी के अनुरूप उपरोक्त उपकर का सेनवेट क्रेडिट लाभ लेना अनियमित होगा क्योंकि सीमाशुल्क पर भुगतान किया गया उपकर उपरोक्त नियम 3(1) में शामिल नहीं है।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान 12 कमिश्नरियों में 17 मामलों में हमने देखा कि निर्धारित ने सीमाशुल्क पर भुगतान किये गये उपकर का क्रेडिट लिया है जिसके परिणामस्वरूप समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 85.61 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ हुआ। एक मामला नीचे उल्लिखित है:--

बोलपुर कमिश्नरी में, मैसर्स कॉनकास्ट बंगाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आयातित इनपुट से संबंधित आगम बिल के आधार पर सीमा शुल्क पर भुगतान किये गये ₹ 32.00 लाख के शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के क्रेडिट का लाभ लिया और उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 32.00 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ हुआ।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (सितम्बर 2014) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार करते समय (फरवरी 2016) कहा कि एससीएन जारी किये जा रहे हैं।

4.11 प्रतिलोम प्रभार के अंतर्गत सेवा कर के भुगतान हेतु सेनवेट क्रेडिट का प्रयोग

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(4) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, सेनवेट क्रेडिट को ऐसी सेवाओं, जहां कर के भुगतान के लिये उत्तरदायी व्यक्ति सेवा प्राप्तकर्ता हो, के संबंध में सेवा कर के भुगतान के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने तीन कमिश्नरियों में तीन मामलों में देखा, जहां सेवा कर का, सेनवेट क्रेडिट लेखे के प्रयोग द्वारा, सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में भुगतान किया गया था। इसके कारण समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 11.34 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित प्रयोग हुआ। एक मामला आगे उल्लिखित है:--

दिल्ली-एसटी कमिश्नरी में, मैसर्स असेन्ट बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड ने सेनवेट क्रेडिट का प्रयोग करके सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत इनपुट सेवा पर ₹ 4.50 लाख के सेवा कर का भुगतान किया। जिसके कारण समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 4.50 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग हुआ।

जब हमने इस बारे में बताया (जून 2015) तब, मंत्रालय ने सूचना दी (फरवरी 2016) कि निर्धारिती ने राशि जमा करा दी थी।

4.12 उपयोग करने के बाद पूंजीगत माल को हटाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 3 (5ए) प्रावधान करता है कि जब पूंजीगत माल, जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, को उपयोग के पश्चात हटा दिया जाता है तब ऑउटपुट सेवाओं का विनिर्माता या प्रदाता सेनवेट क्रेडिट लेने की तिथि से वर्ष की प्रत्येक तिमाही या इसके भाग हेतु नियम में निर्दिष्ट सरल रेखा प्रणाली द्वारा संगणित प्रतिशतता बिंदुओं द्वारा घटाकर उक्त पूंजीगत माल पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा। किन्तु, यदि इस प्रकार संगणित राशि संव्यवहार राशि पर उदग्राह्य शुल्क के बराबर राशि से कम है, तब भुगतान की जाने वाली राशि संव्यवहार मूल्य पर उदग्राह्य शुल्क के बराबर होगी।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान तीन कमिश्नरियों में चार मामलों में हमने देखा कि समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 13.30 लाख की राशि को उपयोग किए गए पूंजीगत माल के निष्कासन पर वापस नहीं किया गया था।

दिल्ली । कमिश्नरी में मैसर्स सुवी इंटरनेशनल प्रा. लि. ने पूंजीगत माल पर ₹ 30.04 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त और उपयोग किया था। निर्धारिती ने बाद में इन पूंजीगत माल को रद्दी और स्क्रेप के रूप में बेच दिया। तथापि, ₹ 8.12 लाख के आनुपातिक सेनवेट क्रेडिट को लौटाया नहीं गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (जून 2015), तब मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2016) कि निर्धारिती के प्रति कोई प्राप्य लंबित नहीं है।

सेनवेट क्रेडिट के वापस करने या रद्दी एवं स्क्रेप के रूप में पूंजीगत माल को बेचने पर संव्यवहार मूल्य पर शुल्क के भुगतान के पहलू पर मंत्रालय का उत्तर मौन है।

4.13 कामगारों को भेजे गए माल पर सेनवेट क्रेडिट वापस न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(5ए), के अनुसार यदि आगे की प्रक्रिया, परीक्षण, मरम्मत आदि के लिए जॉब कामगारों को भेजे गए इनपुटों या पूंजीगत माल, जॉब कामगारों को इसके भेजने के एक सौ अस्सी दिनों के अंदर फैक्ट्री में वापस प्राप्त नहीं किया जाता है तब आउटपुट सेवा का विनिर्माता या प्रदाता, सेनवेट क्रेडिट के डेबिट या अन्यथा द्वारा, इनपुटों या पूंजीगत माल पर आरोप्य सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

भरूच कमिश्नरी में मै. लेनेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मै. नुबर्ग इंजीनियरिंग लिमिटेड तथा मै. राहुल फेरोमेट एण्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आगे की प्रक्रिया परीक्षण, मरम्मत आदि के लिए कामगारों को भेजे गए इनपुटों या पूंजीगत माल को एक सौ अस्सी दिनों के अंदर फैक्ट्री में वापस प्राप्त नहीं किया गया था किन्तु आउटपुट सेवा के विनिर्माता या प्रदाता, प्राप्त न हुए या कम प्राप्त हुए इनपुटों/पूंजीगत माल पर आरोप्य क्रेडिट को वापस करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप, समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 23.42 लाख का सेनवेट क्रेडिट (20.11+2.13+1.18) वापस नहीं किया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (जून 2015), तब मंत्रालय ने ₹ 23.42 लाख में सेनवेट क्रेडिट को लौटाने की सूचना दी (फरवरी 2016)।

4.14 सेनवेट क्रेडिट और अवमूल्यन की साथ-साथ प्राप्ति

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(4) के अनुसार पूंजीगत माल के संबंध में सेनवेट क्रेडिट, पूंजीगत माल के मूल्य के उस भाग पर अनुमत नहीं होगा जो ऐसे पूंजीगत माल पर उस शुल्क राशि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर आउटपुट सेवा के विनिर्माता या प्रदाता, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के अंतर्गत मूल्यह्रास के रूप में दावा करते हैं।

फरीदाबाद-॥ कमिश्नरी में मै. शुभम स्टार्च केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2013-14 के दौरान पूंजीगत माल का ₹ 2.95 लाख (उपकर सहित) का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था साथ ही उत्पाद शुल्क तत्व सहित समग्र राशि का लाभ भी उठाया था जिस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 के अनुसार अवमूल्यन का दावा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.95 लाख के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति हुई।

जब हमने इस बारे में बताया (जुलाई 2015), तब मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते समय ब्याज सहित ₹ 2.95 लाख के सेनवेट क्रेडिट के लौटाने की सूचना दी (फरवरी 2016)।

इसी प्रकार, सिलवासा कमिश्नरी में मै. स्टीलफैब बिल्डिंग सिस्टम्स ने 2014-15 के दौरान ₹ 2.01 लाख का अनियमित सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था।

जब हमने इस बारे में बताया (अप्रैल 2015) तब मंत्रालय ने अभ्युक्ति स्वीकार करते हुए ₹ 0.53 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.01 लाख के सेनवेट क्रेडिट के लौटाने की सूचना दी (फरवरी 2016)।

4.15 अन्य मामले

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने सात मामलों में पाया कि सेनवेट क्रेडिट अनियमित रूप से प्राप्त/उपयोग किया गया था जो प्रावधान/अधिसूचना के उल्लंघन में है जिसमें ₹ 48.28 लाख का राजस्व शामिल है। इन मामलों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:-

| क्रम सं. | निर्धारिती का नाम | कमिश्नरी | अवधि | शामिल राजस्व (लाख ₹ में) |
|----------|---|---------------|---------|--------------------------|
| 1. | मै. आइकन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट (पी) लिमिटेड | गुवाहाटी | 2013-15 | 11.28 |
| 2. | मै. आरपी मल्टीमेटल्स प्राइवेट लिमिटेड | चण्डीगढ़-1 | 2014-15 | 1.51 |
| 3. | मै. बुबना एडवरटाइजिंग | दिल्ली-1 एसटी | 2012-14 | 9.54 |
| 4. | मै. ओवरसीज लॉजिस्टिक्स प्रा. लिमिटेड | दिल्ली-1 एसटी | 2012-14 | 8.80 |
| 5. | मै. अरिहंत वीडियो कम्युनिकेशन | दिल्ली-1 एसटी | 2013-15 | 3.66 |
| 6. | मै. सुवी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड | दिल्ली-1 | 2014-15 | 1.40 |
| 7. | मै. उत्तम (भारत) इलेक्ट्रीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-॥, जयपुर | जयपुर | 2012-15 | 12.09 |
| | कुल | | | 48.28 |

जब हमने इस बारे में बताया (अप्रैल और जून 2015 के बीच) तब मंत्रालय ने सभी मामलों में अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए मै. उत्तम इलैक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर छह मामलों में वसूली की सूचना दी (फरवरी 2016)।

4.16 निष्कर्ष

कुछ चयनित कमिश्नरियों में सेवा कर में राष्ट्रीय औसत के सात से दस गुणा तक और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में सात गुणा तक सेनवेट क्रेडिट का अधिक उपयोग निर्धारितियों द्वारा सेनवेट क्रेडिट के दुरुपयोग की संभावना को दर्शाता है। इसके अलावा, प्राप्त किए गए लगभग 90 प्रतिशत सेनवेट क्रेडिट की विभाग द्वारा 16 रेजों में विस्तृत संवीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से जांच नहीं की गई थी।

सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से भुगतान की जा रही शुल्क की बड़ी मात्रा की दृष्टि से, लेखापरीक्षा का मत है कि विभाग को विवेकपूर्ण ढंग से विद्यमान श्रमबल का उपयोग करते हुए इसके आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली
दिनांक: 03 मई 2016

संजीव गोयल
(संजीव गोयल)

प्रधान निदेशक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 03 मई 2016

शशि कान्त शर्मा
(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक